

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 164]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 मार्च 2014—चैत्र 8, शक 1936

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2014

क्र. 30-वि.निर्वा.-चार-2014-262.—भारत निर्वाचन आयोग की निम्नांकित अधिसूचना सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है :—

1. भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 100/MP-LA/1/2014 दिनांक 29 मार्च 2014.

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, तारीख 29 मार्च 2014—08 चैत्र, 1936 (शक)

अधिसूचना

सं. 100-म.प्र.-वि.स.-1-2014.—यतः, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा में 144-विदिशा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री शिवराज सिंह चौहान के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 19 दिसम्बर 2013 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1), और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :—

(क) मध्यप्रदेश राज्य से उक्त 144-विदिशा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 28 मई, 2014 (बुधवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(ख) उक्त निर्वाचन के संबंध में :—

(क)	नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख	05 अप्रैल, 2014 (शनिवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	07 अप्रैल, 2014 (सोमवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	09 अप्रैल, 2014 (बुधवार)
(घ)	वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा;	24 अप्रैल, 2014 (बृहस्पतिवार)
(ङ)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा :	28 मई, 2014 (बुधवार)

नियत करता है, और

(ग) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा.

आदेश से,

हस्ता./-

(बर्नार्ड जॉन)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, dated 29th March, 2014—08 Chaitra, 1936 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100-MP-LA-1-2014.—WHEREAS, the seat of Shri Shivraj Singh Chouhan in the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh elected from **144-Vidisha** Assembly Constituency has become vacant on 19th December, 2013 by reason of his resignation; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of Section 150 and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby—

(A) **Calls upon** the said **144-Vidisha** Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 28th May, 2014 (Wednesday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) **Appoints**, with respect to the said election :—

- (a) the 05th April, 2014 (Saturday) as the last date for making nominations;
- (b) the 07th April, 2014 (Monday) as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 09th April, 2014 (Wednesday) as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 24th April, 2014 (Thursday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
- (e) the 28th May, 2014 (Wednesday) as the date before which the election shall be completed; and

(C) **Fixes the hours** from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

Sd./-

(BERNARD JOHN)

*Secretary,
Election Commission of India.*